न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **02/2018** आवंटन निरस्ती

श्री हरिसिंह पिता श्री दौलतसिंह राणावत, राजपूत, निवासी राणावतो का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता श्री देवीशंकर शर्मा, निवासी धानमण्डी, संतोषी माता मन्दिर के सामने, उदयपुर (राज.)
2. श्री रमेशचन्द्र पिता श्री गणेशलाल शर्मा, निवासी धानमण्डी, संतोषी माता मन्दिर के सामने, उदयपुर (राज.)
3. श्री जितेन्द्र पिता श्री गणेशलाल शर्मा, निवासी धानमण्डी, संतोषी माता मन्दिर के सामने, उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली, उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन संख्या 81/80 दिनांक 24.10.1980 को निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थितः 1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री जयकृष्ण दवे, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—14.12.18

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा नाहरमगरा की आराजी संख्या 1544 रकबा 13 बिघा 5 बिस्वा आराजी संख्या 1545 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 की पत्नि व विपक्षी संख्या 2 व 3 की माता श्रीमती गुणमाला ब्राम्हण को दिनांक 24.10.80 को उपजिलाधीश वल्लभनगर द्वारा गैर कानुनी

तरीके से नियमन/ आवंटन कर दी गई। जो सर्वथा आवंटन नियमो के विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य हैं। उक्त आवंटन/ नियमन आवंटन नियमो के विपरीत होने से आवंटन आदेश एबइनिश्यो होकर निष्प्रभावी हैं। जिससे श्रीमती गुणमाला को कथित आराजी की भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में नियमन आदेश अपास्त योग्य हैं। इस भूमि पर श्रीमती गुणमाला का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। ना कभी काश्त की। वर्तमान में यह भूमि मौके पर भटवेड़ होकर पथरीली है तथा आवंटन एवं विपक्षीगण ने उक्त आराजीयात की भूमि को आवंटी श्रीमती गुणमालादेवी को आवंटन करने से पूर्व तत्कालीन हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो ने श्रीमती गुणमाला देवी एवं उसके पति से मिलीभगत करके झुठी रिपोर्ट उपजिलाधीश के समक्ष प्रस्तुत कराकर धोखे से एवं मिसरिप्रेजेन्टेटिव तरीके से नियमन करा ली। जो अपास्त योग्य हैं। वर्तमान में इस भूमि का उपयोग आस पास के खातेदारान एवं काश्तकारो के खातेदारी की जमीन में आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग उपभोग में आती हैं। तथा बड़ी विद्युत टॉवर लाईन गुजर रही हैं। तथा वृद्धावस्था आश्रम भी इसी भूमि में निर्माणाधीन हैं। बड़ी विद्युत टॉवर लाईन गुजर रही हैं। मवेशीयो के चरने के काम आ रही हैं। श्रीमती गुणमाला देवी का पति उस समय सरकारी सेवाओ में था ऐसी स्थिति में विधिक तौर पर श्रीमती गुणमाला देवी को किसी भी तरीके से कथित भूमि नियमन नहीं हो सकती थी। और नाही श्रीमती गुणमाला देवी वहॉ की निवासी होकर उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त रहा था। गुणमाला देवी के पति ने राजस्व कर्मचारीयो व तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करके पुराना कब्जा बताते हुए भूमि को नियमन करवा दिया गया। कथित आदेश पारीत करने से पूर्व नियमानुसार किसी भी तरह की उद्घोषणा जारी नहीं की गई। घोषणा बाबत कोई नोटिस तहसील कार्यालय पंचायत कार्यालय या सार्वजनिक स्थान पर चस्पानगी नहीं की गई। नियमन आदेश के आधार पर आवंटी को कभी भी मौके पर आधिपत्य सिपुर्द नहीं किया गया। नाही आवंटी ने आवंटन नियमानुसार भूमि को नियत

समयावधि में विकसित की हैं। नाही कृषि योग्य बनायी हैं। आवंटी श्रीमती गुणमाला देवी का निधन हो चुका हैं। इसलिये विपक्षी संख्या 1 उसका पति हैं तथा विपक्षी संख्या 2 व 3 उसके पुत्र हैं। इसलिये इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाये गये हैं। अतः उपजिलाधीश वल्लभनगर के आवंटन संख्या 81/80 आवंटन दिनांक 24.10.80 के आदेश को निरस्त फरमाया जावें एवं उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग की घोषित फरमायी जावें तथा मौजा बजाजनगर की आराजी संख्या 1545, 4664/1544 से श्रीमती गुणमाला देवी/विपक्षीगण का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग उपभोग एवं रास्ते की घोषित फरमायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली हैं।

विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पूर्वज श्रीमती गुणमाला के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दायर प्रकरण संख्या 1895/1990 (ना.क.) में दिनांक 19.05.80 को पारित निर्णय में श्रीमती गुणमाला का दिनांक 01.07.75 से पुराना संवत् 2024 (करीब 1967) से नाजायज कब्जा दर्ज रेकार्ड पाये जाने से नियमन की सिफारिश की थी। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर एवं विचार कर नियमन सलाहकार समिति ने उक्त वर्णित आराजीयात श्रीमती गुणमाला के नाम नियमन करने हेतु आदेश किया था। जिसकी पालना में श्रीमती गुणमाला ने वांछित देय रकम जमा करायी और तत्पश्चात् उक्त भूमि राजस्व जमाबन्दी में गुणमाला के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई। भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त होने से तद्न्तर नियमानुसार उसको खातेदारी हक प्रदान कर उक्त भूमि खातेदारी हक से राजस्व जमाबन्दी में काफी अर्से पूर्व दर्ज की गई। प्रार्थी ने नियमन संबंधित समस्त कार्यवाही के रिकार्ड के विरूद्ध मर्जीमाफिक मिथ्या आरोप बदनियतिपूर्व अंकित किये गये है कि नियमन सलाहकार समिति की

बैठक नहीं हुई, विधिवत् तरीके से आवंटित करने की कोई सिफारीश नहीं की गई, नियमन सलाहकार समिति की गणपूर्ति नहीं थी। आवंटन आदेश पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं। जिससे उक्त आवंटन नियम विरूद्ध होकर शुन्य व निष्प्रभावी हैं या उक्त कारण से श्रीमती गुणमाला का उक्त आराजीयात पर कोई अधिकार नहीं हैं। जबकि उपतहसीलदार मावली द्वारा नियमन की सिफारीश करने का धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वैध आदेश पारीत फरमाया गया था। जिसके विरूद्ध कभी किसी ने आज तक कोई आपत्ति नहीं की। और उक्त आदेश पुर्णतः वैध व प्रभावी हैं। विधिवत गठित नियमन सलाहकार समिति ने दिनांक 24.10.80 को वर्णित भूमि श्रीमती गुणमाला को नियमन करने का आदेश पारीत फरमाया है जो पूर्णतया वैध हैं। आवंटन के 38 वर्ष पश्चात् ऐसे तकनीकि आधारो पर आवंटन/ नियमन निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि पर गुणमाला द्वारा एक बोरिंग भी करवाया था। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मिथ्या कथन किये हैं। प्रार्थी को इस संबंध में कोई निजी जानकारी नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात के पूर्व की दिशा की तरफ कुछ आराजीयात अभी चन्द अर्से पूर्व क्रय की हैं। प्रार्थी स्वयं उदयपुर में सोने चांदी के जेवरात क्रय विक्रय कर सर्राफ का व्यवसाय करता है जो येन केन प्रकारेण वर्णित आराजीयात हड़पने की फिराक में हैं। इसलिये उसने ब्लैकमेल करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो पर दोषारोपण किया गया है जबकि उनके द्वारा सेवा कर्तव्यो की सद्भावना पूर्वक पूर्ति में सही दर्ज किये गये थे क्योंकि श्रीमती गुणमाला का उक्त भूमि पर कब्जा होकर कुल 21 बिघा 3 बिस्वांसी पर नाजायज कब्जा था जिसमें से केवल 15 बिघा भूमि ही नियमन करने का आदेश पारीत फरमाया गया जो पूर्णतया वैध हैं। शेष कथन मात्र दुर्भावनापूर्वक कपोल कल्पित मिथ्या कथन किये गये हैं। कानुनन प्रार्थी को आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं हैं। वर्तमान में मूल आवंटी श्रीमती गुणमाला का देहावसान हो गया हैं। विपक्षीगण उनके उत्तराधिकारी हैं। परन्तु

प्रार्थी द्वारा गुणमाला का अन्य वारीसानो को भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा 38 वर्ष पश्चात् गोर विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो पोषणीय नहीं हैं। अतिक्रमी स्वयं राज्यसेवा में नहीं हैं। विपक्षीगणो द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध दीवानी न्यायालय मावली में भी निषेधाज्ञा का वाद मिथ्या आधारो पर दायर किया है ताकि वह विपक्षीगण की भूमि में जबरन रास्ता बना लेवें। प्रार्थी भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से भी उपजाउ मिट्टी व पत्थर आदि ले गया था जिसकी रिपोर्ट दिनांक 08.12.16 को थाना डबोक में दर्ज करवायी। प्रार्थी सर्राफा व्यवसायी होकर काफी धनवान हैं। झुठे प्रकरणो मुकदमो में उलझाकर हैरान परेशान कर उक्त भूमि हड़पने के लिये ब्लैकमेल कर रहा हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षीगण 1 से 3 के पूर्वाधिकारी श्रीमती गुणमाला को मौजा नाहरमगरा की आराजी संख्या 1544 रकबा 13 बिघा 5 बिस्वा एवं 1545 रकबा 1 बिघा 15 भूमि दिनांक 24.10.80 को नियमन की गई। जबकि तत्समय गुणमाला के पति राजकीय कर्मचारी थे। आवंटन नियमन में राज्य कर्मचारी को भूमि आवंटन नियमन नहीं हो सकती हैं। उक्त भूमि पर श्रीमती गुणमाला का कभी भी कब्जा नहीं रहा। उसके द्वारा कभी काश्त नहीं की गई। आज भी यह भूमि मौके पर पड़ी हुई हैं। इस भूमि में वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा हैं। बड़ी विद्युत टॉवर लाईन जा रही हैं। अन्य काश्तकारो को अपनी आराजीयात में जाने के रास्ते बने हुए हैं। पड़त भूमि में मवेशी चरते हैं। मात्र राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो से मिलीभगत कर उनके पति राजस्व कर्मचारी होने से उनके द्वारा तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत करके राजस्व रेकार्ड में गुणमाला देवी का पुराना कब्जा बताते हुए फर्जी व षड्यंत्रपुर्वक उक्त भूमि को नियमन करवा ली गई। जबकि इस भूमि पर गुणमाला द्वारा कभी कोई काश्त नहीं की। नाही भूमि को काबिल काश्त की गई। नाही आवंटन शर्तो की पालना की गई। आवंटन नियमन के संबंध में कोई

उद्घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। नोटिसो की चस्पानगी सार्वजनिक स्थलो पर नहीं की गई। सारी कार्यवाही राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो ने आवंटी एवं विपक्षीगण से मिलीभगत करके मौके की गलत रिपोर्ट कराकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में भूमि गुणमाला देवी के नाम पर गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करा दी गई। अतः विपक्षी के पूर्वाधिकारी गुणमाला देवी को मौजा बजाजनगर की आराजी संख्या 1545, 4664/1545 में किया गया आवंटन नियमन दिनांक 24.10.80 का निरस्त फरमाया जावें एवं उक्त भूमि को सार्वजनिक उपयोग उपभोग एवं रास्ते की घोषित फरमायी जावें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में विपक्षीगणो का कब्जा हैं। विपक्षीगणो के पूर्वाधिकारी श्रीमती गुणमाला देवी को यह भूमि 24.10.80 को उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा नियमन की गई थी। जिस पर श्रीमती गुणमाला देवी का कब्जा 1967 से निरन्तर था जिस पर गुणमाला देवी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही होती रही। जो बाद में नायब तहसीलदार मावली द्वारा पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की अनुशंषा की गई जिस पर गुणमाला देवी को नियमन सलाहकार समिति द्वारा नियमन के आदेश पारीत किये गये। प्रार्थी काफी पैसे वाला व्यक्ति है जिसका उदयपुर में सोने चांदी का व्यवसाय है जिसके द्वारा इस भूमि के पूर्व दिशा की तरफ कुछ आराजीयात चन्द अर्से पूर्व क्रय की है जिसके द्वारा इस भूमि को भी येन केन हड़पने की नियत से यह मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं एवं राजस्व अधिकारीयो कर्मचारीयो पर भी मिथ्या आरोप लगाये गये हैं। मौके पर इस भूमि पर कोई रास्ता नहीं हैं। सभी काश्तकारो के जाने के लिये अलग अलग रास्ते हैं। मौके पर इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई आश्रम निर्माणाधीन नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगणो के समक्ष इस भूमि को क्रय करने का प्रस्ताव रखा था जिसको विपक्षीगणो द्वारा मना कर दिया गया। प्रार्थी इस भूमि को औने पौने दाम में खरीदना चाहता हैं। 38 वर्ष पश्चात् यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है

जिसका क्या औचित्य है। ऐसा प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होकर निरस्त योग्य है। इस भूमि पर गुणमाला देवी द्वारा एक ट्यूबवेल भी खुदवाया गया है। जिसका इसी भूमि में होने का प्रमाणपत्र भी तहसीलदार मावली द्वारा जारी किया गया हैं। जिलाधीश महोदय स्वयं ने यह प्रमाण पत्र दिया है कि अतिक्रमी स्वयं राज्य सेवा में नहीं है। ऐसी हालत में नियमन के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती हैं। ऐसी सूरत में प्रार्थी ने उक्त आपत्ति प्रस्तुत की है जो निरस्त होने योग्य हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या है जिसे इसी स्तर पर खारीज करना फरमावें। अपनी बहस की ताईद में आर आर टी 2014 (2) पेज 1150, आर आरडी 1999 पेज 128, आर आर टी 2016—17 (supp) पेज 304, आर आर टी 2009 (1) पेज 452 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अध्ययन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो व नजीरो का ससम्मान अवलोकन किया गया। मूल नियमन पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौजा नाहरमगरा की आराजी संख्या 1544 रकबा 17 बिघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 1545 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 4038/1798 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा पर नाजायज कब्जा होने से एवं इस भूमि पर संवत् 2032 के पूर्व का नियमित कब्जा होने के कारण उपतहसीलदार मावली द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.05.80 से उक्त अतिक्रमित आराजीयातो में से आराजी संख्या 1544 रकबा 13.5 बिघा एवं आराजी संख्या 1545 रकबा 1.15 बिघा कुल आराजी किता 2 रकबा 15 बिघा विपक्षीगणो के पूर्वाधिकारी श्रीमती गुणमाला देवी के नाम नियमन किये जाने की अनुशंषा की गई। संलग्न पत्रावली जिन्स गिरदावरी में संवत् 2024 से 2026 के कॉलम संख्या 41 विशेष विवरण में गुणमाला देवी का कब्जा संवत् 2026 व 2027 का बदस्तुर बता रखा हैं। संवत् 2028 से 2031 में भी नाजायज कब्जा 10 बिघा भूमि पर बदस्तुर बता रखा हैं। इस आराजी में काश्त भी दर्ज हैं। उपतहसीलदार मावली द्वारा अपने

आदेश में यह लिखा है कि ''पटवारी हल्का नाहरमगरा एवं तहसीलदार साहब मावली की रिपोर्ट अनुसार श्रीमती गुणमाला देवी के खाते में कोई भूमि नहीं हैं। श्रीमती गुणमाला देवी के पति श्री गणेशलाल है जो राज्य सेवा में कम्पाउण्डर की सर्विस करते हैं। पूर्व में अन्य पत्रावली में राज्य सेवा के कर्मचारीयो की पत्नि का अतिक्रमण होने से जिलाधीश महोदय से स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया था। जिसमें जिलाधीश महोदय के यहॉ से यह लिखा हुआ प्राप्त हुआ कि अतिक्रमी स्वयं राज्य सेवा में नहीं है ऐसी हालत में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं हैं। अतः श्रीमती गुणमाला देवी पत्नि गणेशलाल ब्राम्हण निवासी उदयपुर (धानमण्डी) उदयपुर का बिलानाम राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त 01.07.75 से पूर्व का होने से ग्राम नाहरमगरा में आराजी संख्या 1544 का रकबा 13 बिघा 5 बिस्वा एवं 1545 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय एवं बंजड़ तथा सरल लगान प्रति बिघा 30 पैसे कुल रकबा 15 बिघा विनियमन योग्य होने से नियमन की सिफारीश की जाती हैं।'' प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो के अनुसार संवत् 2051 में गुणमाला देवी के नाम ज्वार 8 बिघा पड़त 3 बिघा एवं आराजी संख्या 1545 में उड़द 1 बिघा 15 बिस्वा पर दर्ज हैं। इसी तरह इस भूमि में संवत् 2052 में भी काश्त ज्वार उड़द दर्ज हैं। गुणमाला द्वारा इस भूमि में ट्यूबवेल भी लगा रखा है जिसका प्रमाणपत्र स्वयं तहसीलदार मावली द्वारा जारी किया हुआ हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि इस भूमि में किसी प्रकार का वृद्धावस्था आश्रम निर्माणाधीन हो। या कोई रास्ते कायम किय गये हो। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से भी प्रथम दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि प्रार्थी एवं विपक्षीगणो के मध्य दिनांक 09. 12.16 को आपसी समझौता भी हुआ था। विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 03.01. 18 को थाना डबोक में भी प्रार्थी के विरूद्ध कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। जिसमें यह लिखा गया है कि जमीन पर कब्जा करने की नियत से परेशान किया जा रहा हैं। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षी संख्या 1 से 3 के पुर्वाधिकारी श्रीमती गुणमालादेवी के नाम वादग्रस्त भूमि

नियमानुसार नियमन हुई हैं। जो बाद में इस भूमि के उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये थे। नियमन कमेटी द्वारा दिनांक 24.10.80 को श्रीमती गुणमाला देवी के पक्ष में नियमन करने के आदेश प्रदान किये गये एवं आवंटन आदेश जारी किया गया था। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा विधिवत राजस्व रेकार्ड में गुणमाला देवी के नाम भूमि दर्ज कर लगान कायम किया गया था। नकल खसरा गिरदावरी में संवत् 2051 से 2052 में काश्त दर्ज हैं। विपक्षीगणो का विवादीत आराजी पर कब्जा होना स्पष्ट हैं। इस भूमि के विरूद्ध 14 (4) का प्रार्थना पत्र वर्ष 2018 में लगभग 38 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया। तकनीकि आधार पर नियमन को खारीज किया जाना उचित नहीं हैं। लम्बे समय के बाद बिना किसी आधार के आवंटन नियमन को खारीज नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर